

17/3/25

पत्रावली वाले डिप्टि पेटा डी डायर फ-
उप। अपील अपीलॉट रिप्लेस की पली ह्य
नियत डिप्टि अलग हे लिपि लिख कर शक्ति
की गरी नंबर से छुटो

डिप्टि डायर गज

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMs
2018/00024



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड सूतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

पीठासीन अधिकारी: संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 48/18

दायर दिनांक :-16-03-2018

मन्शाराम पुत्र श्री हमीराराम जाति नायक साकिन राजपुरा पीपेरन तहसील सूतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
----- अपीलान्त

बनाम

- 1-सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन पंचायत समिति सूतगढ तहसील सूतगढ
- 2-नीकूराम पुत्र श्री हमीराराम जाति नायक साकिन राजपुरा पीपेरन तहसील सूतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
- 3-राजस्थान सरकार जरिये पैराकार राज तहसीलदार राजस्व सूतगढ

----- रेस्पोजेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-


- 1- सोम प्रकाश शर्मा , प्रमेन्द्र सिंह भाटी अभिभाषक अपीलान्त ।
- 2- राजवीर भादू अभिभाषक रेस्पोजेन्ट सं0 1
- 3- जसवीर सिंह बराड़ , गगन्तर सिंह ढिलो अभिभाषक रेस्पोजेन्ट सं0 2
- 4- पैरोकार राज तहसीलदार, सूतगढ ।

---: निर्णय ---:

दिनांक :- 17.03.2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक अपीलान्त एवं अभिभाषक रेस्पोजेन्टस एवं पैरोकार राज उपस्थित। उभय पक्षों को सुना गया। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोजेन्ट सं0 1 द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 05-03-2018 इन्तकाल सं0 233 जिसकी रूह से अपीलान्त के पिता हमीराराम के नाम वाके चक 1 पी पी एन तहसील सूतगढ के खाता सं0 67/10 के प0न0 153/35 में 1.910 है0 , प0न0 153/43 में 0.506 है0 , प0न0 133/36 में 0.253 है0 कुल 2.669 है0 भूमि का विरास्तन व हक त्याग का इन्तकाल सं0 233 दिनांक 19-01-2016 को सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन , पटवारी हल्का राजपुरा पीपेरन द्वारा दर्ज नीकूराम को 1/2 हिस्सा , पेमादेवी का 1/6 हिस्सा , तेजाराम का 1/6 हिस्सा , मन्शाराम का 1/6 हिस्सा दर्ज किया गया जिस पर दिनांक 02-02-2016 को गिरदावर राजपुरा पीपेरन ने अंकन सही होना अंकित किया । अपीलान्त के पिता हमीराराम व माता उदीदेवी के देहान्त के पश्चात वारिस प्रमाण-पत्र कार्यालय ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन के मुताबिक हमीराराम के 6 जायज वारिसान रूकमा देवी पुत्री फौत , पेमा देवी पुत्री फौत , तेजाराम पुत्र , मन्शाराम पुत्र , दाखा देवी पुत्री, नीकूराम पुत्र इस प्रकार कुल 6 जायज वारिसान है । वारिस प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है । गिरदावर व पटवारी ने उक्त वारिसानांमा दिनांक 14-08-2008 को कतई नजरअंदाज करते हुये इन्तकाल का अंकन किया है । मुताबिक वारिसानांमा ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन से यह साबित है कि उक्त वारिसानांमा में रूकमा देवी व पेमादेवी दो वारिसान दिनांक 14-08-2008 से पूर्व ही फौत थें । वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन होना चाहिये था । लेकिन पटवारी व सरपंच ने रेस्पोजेन्ट सं0 2 से सांठ गांठ कर उक्त अंकन किया जो कि वारिसाननांमा से साबित होने पर काबिल निरस्ती है । उक्त इन्तकाल सं0 299 सरपंच ग्राम पंचायत दिनांक 05-03-2018 को सर्वसम्मति से पारित किया गया जो कि उक्त इन्तकाल के पटवारी हल्का के दर्ज किये जाने व सरपंच द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने के बीच दो वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई व सरपंच द्वारा इतनी अवधि व्यतीत होने के




उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)


—2—(प्र0स0 49/18 अनवान मन्शाराम बनाम सरपंच ग्रा0प0 राजपुरा पीपेरन वगैरा) पश्चात सरपंच द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई । जबकि एक वारिस और तेजाराम का देहान्त भी हो गया था । इस प्रकार उक्त इन्तकाल में तीन रूकमा , पेमा व तेजाराम के नाम से इन्तकाल सर्वसम्मति से दिनांक 05-03-2018 को पारित किया गया । जिनका देहान्त हो चुका है । मृतक व्यक्तियों के नाम से इन्तकाल सर्वसम्मति से पारित किया गया है सरपंच द्वारा इन्तकाल का अंकन करते समय सही जांच नहीं की गई । उक्त इन्तकाल स्वीकृत या अस्वीकृत किस श्रेणी का माना जावे का कहीं कोई अंकन नहीं किया गया है । इन्तकाल मृतक व्यक्तियों के नाम से स्वीकृत होने के कारण अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । रेस्पोजेन्टस को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया । रेस्पोजेन्ट सं0 1 की तरफ से अभिभाषक राजवीर भादू एवं रेस्पोजेन्ट सं0 2 की तरफ से अभिभाषक जसवीर सिंह बराड़ उपस्थित हुये । परोकार राज उपस्थित । रिकार्ड तलब किया गया ।

इसके पश्चात अभिभाषक अपीलान्त एवं रेस्पोजेन्ट एवं परोकार राज उपस्थित । अपीलान्त एवं रेस्पोजेन्ट के अभिभाषक की बहस सुनी गई । अपीलान्त ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि रेस्पोजेन्ट सं0 1 द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 05-03-2018 इन्तकाल सं0 233 जिसकी रूह से अपीलान्त के पिता हमीराराम के नाम वाके चक 1 पी पी एन तहसील सूरतगढ के खाता सं0 67/10 के प0न0 153/35 में 1.910 है0 , प0न0 153/43 में 0.506 है0 , प0न0 133/36 में 0.253 है0 कुल 2.669 है0 भूमि का विरास्तन व हक त्याग का इन्तकाल सं0 233 दिनांक 19-01-2016 को सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन , पटवारी हल्का राजपुरा पीपेरन द्वारा दर्ज नीकूराम को 1/2 हिस्सा , पेमादेवी का 1/6 हिस्सा , तेजाराम का 1/6 हिस्सा , मन्शाराम का 1/6 हिस्सा दर्ज किया गया जिस पर दिनांक 02-02-2016 को गिरदावर राजपुरा पीपेरन ने अंकन सही होना अंकित किया । अपीलान्त के पिता हमीराराम व माता उदीदेवी के देहान्त के पश्चात वारिस प्रमाण-पत्र कार्यालय ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन के मुताबिक हमीराराम के 6 जायज वारिसान रूकमा देवी पुत्री फौत , पेमा देवी पुत्री फौत , तेजाराम पुत्र , मन्शाराम पुत्र , दाखा देवी पुत्री, नीकूराम पुत्र इस प्रकार कुल 6 जायज वारिसान है । इन्तकाल मृतक व्यक्तियों के नाम से स्वीकृत होने के कारण अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया ।

रेस्पोजेन्ट सं0 1 के अभिभाषक ने दौराने बहस बताया की रेस्पोजेन्ट सं0. 1 ने पूर्ण जांच कर अपीलान्त एवं रेस्पोजेन्ट सं0 2 के पिता हमीराराम के समस्त वारिसान के नाम विरास्तन एवं हक त्याग का इन्तकाल सं0 233 दिनांक 05-03-2018 स्वीकृत किया है । हमीराराम का कोई भी वारिस इन्तकाल में नहीं छुटा है । विरास्तन एवं हक त्याग इन्तकाल सं0 233 की फोटो प्रमाणित प्रति माननीय न्यायालय में पूर्व में पेश की जा चुकी है । जिससे पूर्णतया साबित है की अपीलान्त द्वारा अपील प्रस्तुत की है अपील अपीलान्त निराधार होने के कारण निरस्त फरमाई जावे ।

रेस्पोजेन्ट सं0 2 के अभिभाषक ने दौराने बहस बताया रेस्पोजेन्ट सं0 1 द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 05-03-2018 इन्तकाल सं0 233 जिसकी रूह से अपीलान्त एवं रेस्पोजेन्ट के पिता हमीराराम के नाम वाके चक 1 पी पी एन तहसील सूरतगढ के खाता सं0 67/10 के प0न0 153/35 में 1.910 है0 , प0न0 153/43 में 0.506 है0 , प0न0 133/36 में 0.253 है0 कुल 2.669 है0 भूमि का विरास्तन व हक त्याग का इन्तकाल सं0 299 दिनांक 19-01-2016 को सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन पटवारी हल्का राजपुरा पीपेरन द्वारा दर्ज नीकूराम को 1/2 हिस्सा , पेमादेवी का 1/6 हिस्सा , तेजाराम का 1/6 हिस्सा , मन्शाराम का 1/6 हिस्सा दर्ज किया गया जिस पर दिनांक 02-02-2016 को गिरदावर राजपुरा पीपेरन ने अंकन सही होना अंकित किया । जो की पूर्ण विधि अनुसार एवं पूर्ण जांच से स्वीकृत किया गया है । अगर मृतक


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)



—3—(प्र0स0 49/18 अनवान मन्शाराम बनाम सरपंच ग्रा0प0 राजपुरा पीपेरन वगैरा) के नाम से विरास्तन इन्तकाल हो भी गया है तो उनके जायज वारिसों का हिस्सा सुरक्षित है । मृतक के वारिसों के नाम विरास्तन इन्तकाल चढाया जा सकता है । इससे साबित होता है कि रेस्पोजेन्ट सं0 1 द्वारा पूर्ण जांच व विधि अनुसार विरास्तन दर्ज किया है एवं बाद में हक त्याग का इन्तकाल भी पूर्ण प्रक्रिया से स्वीकृत किया गया है । क्योंकि हक त्याग का दस्तावेज रजिस्टर्ड है जिसको खारिज करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय के पास है । जब तक हक त्याग का दस्तावेज खारिज नहीं किया जाता तब तक इन्तकाल भी निरस्त नहीं हो सकता है । इन्तकाल सं0 299 रेस्पोजेन्ट एवं अपीलान्ट के पिता हमीराराम के समस्त जायज वारिसान के नाम स्वीकृत किया गया होने के कारण अपील निराधार तथ्यों पर पेश होने से निरस्त फरमाई जाने का निवेदन किया ।

इस प्रकार अपील अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट की बहस का मनन कर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया रेस्पोजेन्ट सं0 1 द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 05-03-2018 इन्तकाल सं0 233 जिसकी रूह से अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट के पिता हमीराराम के नाम वाके चक 1 पी पी एन तहसील सूरतगढ के खाता सं0 67/10 के प0न0 153/35 में 1.910 है0 , प0न0 153/43 में 0.506 है0 , प0न0 133/36 में 0.253 है0 कुल 2.669 है0 भूमि का विरास्तन व हक त्याग का इन्तकाल सं0 233 दिनांक 19-01-2016 को सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन , पटवारी हल्का राजपुरा पीपेरन द्वारा दर्ज नीकूराम को 1/2 हिस्सा , पेमादेवी का 1/6 हिस्सा , तेजाराम का 1/6 हिस्सा , मन्शाराम का 1/6 हिस्सा दर्ज किया गया जिस पर दिनांक 02-02-2016 को गिरदावर राजपुरा पीपेरन ने अंकन सही होना अंकित किया । अपीलान्ट के पिता हमीराराम व माता उदीदेवी के देहान्त के पश्चात वारिस प्रमाण-पत्र कार्यालय ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन के मुताबिक हमीराराम के 6 जायज वारिसान रूकमा देवी पुत्री फौत , पेमा देवी पुत्री फौत , तेजाराम पुत्र , मन्शाराम पुत्र , दाखा देवी पुत्री, नीकूराम पुत्र इस प्रकार कुल 6 जायज वारिसान है । वारिस प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है । इन्तकाल में अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट के पिता हमीराराम का कोई भी वारिस नहीं छुटा है । इसलिए अपील अपीलान्ट निराधार होने के कारण निरस्त किया जाना उचित समझते है ।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05-03-2018 इन्तकाल सं0 233 यथावत रखे जाने के आदेश दिया जाता है । खर्चा पक्षकार अपना -2 वहन करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(सदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
सूरतगढ (महाराष्ट्र)
उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ